

**31 / 12 / 2014 की स्थिति में अचल सम्पत्ति का विवरण**

अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह सेवारत है

~~डा. लाल कृष्ण शर्मा, मध्य प्रदेश शासकीय सेवा~~

पिता/पति का नाम

श्री माणिक्य प्लाट गीते

वर्तमान धारित पद

न्यायालय हाथीशिक

वर्तमान वेतन

4620 + 3200

अगली वेतनवृद्धि

01 जुलाई - 2015

वर्तमान पद का कुल वेतन


3688

उस जिले, संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि किसके नाम पर धारित है, और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, "पट्टा, बंध, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से, अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
भोपाल	रा. विभाग निगाहवाली	प्लॉट एच नूनि	2500000/-	स्वयं के नाम पर	पूर्व वर्ष में अर्जित किया गया	-	प्लॉट नं. 12, भोपाल

25/07/2014  
 ए.पी.एस. निगाहवाली  
 भोपाल  
 दि. 07.07.2014  
 मिला

जहां लागू न हो काट दीजिये।  
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।  
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी :- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1956 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा सत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

  
 नाम डा. लाल कृष्ण शर्मा  
 पद न्यायालय हाथीशिक